GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD) **RB/L&A/008/2014**

No. 2012/LM(PA)/03/08/Policy **New Delhi, Dated:26.09.2014**

The General Manager(s),
All Indian Railways.

Sub: Guidelines for provision of Passenger Amenities at Railway stations through Individuals, NGOs, Trusts, Charitable Institutions, Corporates, etc.

Individuals, NGOs, Trusts, Charitable Institutions, Corporates, etc. have evinced interest in providing/augmenting passenger amenities at railway stations on their own to improve the facilities for the passengers.

The matter has been considered in Board and it has been decided to issue policy guidelines in this regard. After scrutinizing the feasibility of the proposals received from Individuals, NGOs, Trusts, Charitable Institutions, Corporates, etc., Railway shall follow the under mentioned guidelines for execution of such works.

1. Objective:

To promote participation of Individuals, NGOs, Trusts, Charitable Institutions, Corporates, etc., (hereinafter called 'Sponsoring Party') in renovation/ provision/improvement/upgradation of amenities and services at Railway Stations at their own cost.

2. Possible Areas of activities/works:

The Sponsoring Party is permitted to provide passenger amenities at the railway stations without linking the same to the category of station in the following areas:

(i) Renovation/ replacement /provision/ improvement/ upgradation of amenities at Railway Stations
(ii) Provision/upgradation of services including maintenance & operation (wherever permitted) of the existing and newly provided facilities/amenities.
(iii) Beautification/landscaping of station and circulating area
(iv) Cleanliness of the station premises which may include station building, platforms, circulating area, track etc.

An indicative list of amenities is as under-

i. Any of the amenities listed in the extant policy instructions on passenger amenities
ii. Wheel Chairs
iii. Dust Bins
iv. Luggage Trolleys
v. Water Fountain
vi. Air/Mist Cooling System
vii. Water treatment systems including RO plants(With or without water coolers)
viii. LED based Station Name Boards
ix. Electronic Chart/Train Display / Coach Indication Boards / Public Address System / Clocks.
x. Lighting System through renewable energy resources like solar, wind etc.
xi. Battery Operated Cars with driver
xii. Water Harvesting at stations
xiii. Escalator/Elevator/Travellator
xiv. Solar water heating system, etc
xv. High mast lighting with timer/day-light switch & energy efficient fittings
xvi. Air curtains
xvii. DG sets/Invertors/UPS etc.

3. Guidelines:

i. Railway shall make master plan of the station showing the existing amenities, the amenities proposed by the Sponsoring Party, other sanctioned passenger amenity works including the one to be done in future and such master plan should be approved by DRM.

ii. The amenities should be provided by Railways on Deposit terms. There shall be no D&G and supervision charges as the idea is to use the entire amount contributed by the Sponsoring party into the station development. The General Charges against these works should be absorbed within the existing organization and no additional posts should be created against these works. However, some items like Benches, Wheel Chairs, Battery Operated Cars, Luggage Trolleys, Stand alone Solar Lighting System, DG sets/ inverter/UPS, Energy efficient electrical fittings & fans etc. as per approved specifications may also be supplied by sponsors free of cost. Such facilities may be utilised/operated by Railways or operated by Sponsoring Party (if permitted).

iii. Railway shall endeavour to provide the amenity within one year of deposit of fund by the Sponsoring Party.

iv. Commercial department of the Railways shall, as per extant practice, co-ordinate for the approval of Passenger Amenities to be provided at the station, while the concerned executive departments viz. Engg., Electrical,

S&T etc. shall be responsible for preparation of plans, estimates etc. and execution. The department having major component of overall works shall co-ordinate with the Sponsoring Party for receipt of deposit after preparation of estimate.

v. The department incharge of cleanliness of the station shall coordinate and be responsible in case cleanliness of station premises is sponsored.

vi. Notwithstanding the number/level of amenities proposed/provided at railway station through the Sponsoring Party, the Category of the station shall not change and will continue to be based on earnings from passenger traffic at the station vide Board's Circular No.2012/LM(PA)/03/05 dated 11.09.2012.

vii. A MoU may be signed between Railway Administration (DRM or any officer of JAG/SG of the Commercial Department, to whom the powers may be delegated) and the Sponsoring Party.

viii. There should be no duplicity of expenditure. Proper accountal of expenses incurred on the sponsored works shall be maintained by the railway.

ix. Technical documents for certain amenities e.g. RO Plant, Water Coolers, etc., which are supplied/installed as a part of amenities should be given by the Sponsoring Party to Railways (wherever such items, as per standard specification are supplied by the sponsorer).

x. Wherever 'Live' Passenger Amenities like Display Boards/Coach guidance system, etc is provided, the same should be connected to NTES so that up to date information is available for the passengers. Digital Clocks, Coach Guidance Board, PA System and Electronic Chart / Train Display Boards should be in conformity to RDSO specifications, if available.

xi. The Sponsoring Party shall have no right on assets so created and such assets shall be the property of the Railways and should be taken into the relevant books / records of assets maintained by the concerned Departments.

xii. Where the Sponsoring Party comes forward to carryout maintenance of the amenities/assets provided by them, then the same can be permitted. However, in case the Sponsoring Party is not willing to maintain them, maintenance of the amenities /assets will be done by Railway at its cost.

xiii. Construction of good toilets (for ladies/gents/persons with disabilities) at station with provisions of Safai Mitra for regular cleanliness, etc can also be funded /provided and maintained by the Sponsoring Party. Charges for latrines/bath shall be as approved by Railway. There shall be no charges for urinals.

xiv. Water and electricity required, as per norm, for provision/installation and O&M of amenities shall be supplied free of cost by Railway.

xv. Wherever the maintenance, O&M, cleanliness etc is part of the scope of work for which Sponsoring Party is required to depute his men/staff then they will be issued appropriate authority with photograph by Station Manager/SS. Such men/staff should be in proper uniform of the prescribed color and type displaying the name badge and should invariably have the authority issued by Station Manager/SS in his possession.

xvi. Replacement of amenity/asset provided through the Sponsoring Party shall be guided by the prevailing norms.

xvii. Provision of Air Conditioners by the Sponsoring Party shall be governed by the prevailing norms.

xviii. The Sponsor shall not have any right for commercial exploitation of asset being provided in railway premises.

xix. No space/facility for advertising/publicity shall be given to the Sponsor in lieu of the amenities provided.

xx. Railway may allow putting up a plaque or a board acknowledging contribution of the Sponsor by way of logo, company's name etc. The plaque/board shall be of a reasonable size as approved by DRM and should be located at a place which do not mar the aesthetics of the station and should not interfere with operational activities. Decision of the DRM shall be final in this regard.

xxi. An appropriate database of the facilities created through the above initiative should be maintained by Railway including the details of the Sponsoring Party.

4. Railway administration will satisfy themselves about the bonafides of the Sponsoring Party's interest in providing passenger facility in railway station premises as considered appropriate to avoid public complaints.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(S.K. Ahirwar)	**(Sushil Kumar)**	**(Harish Pawaria)**	**(Naveen Agrawal)**
Director/TC(G)	**Director/EE(PS)**	**Director/(Tele)**	**Director/WCS**
Railway Board	**Railway Board**	**Railway Board**	**Railway Board**

No. 2012/LM(PA)/03/08/Policy **New Delhi, Dated: 26.09.2014**

Copy to:-

1. FA&CAOs, All Indian Railways.
2. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi.

For Financial Commissioner/Railways

(V. Rama Manohara Rao)

No. 2012/LM(PA)/03/08/Policy **New Delhi, Dated: 26 .09.2014**

Copy to:-

1. Principal Chief Engineer(s), All Indian Railways.
2. Chief Commercial Manager(s), All Indian Railways.
3. Chief Signal & Telecom Engineer(s), All Indian Railways.
4. Chief Electrical Engineer(s), All Indian Railways.
5. CAOs/Construction, All Indian Railways
6. EDPM, EDCE (B&S)-II, EDW (P), EDCE (G), ED/TD & EDEE (M), ED(W), ED/WP, EDCE(P), EDF(X)-II, Railway Board.
7. F(X)-II, TG-IV, Elec.(G), Telecom and Budget Branches of Railway Board.

(S.K. Ahirwar)	**(Sushil Kumar)**	**(Harish Pawaria)**	**(Naveen Agrawal)**
Director/TC(G)	**Director/EE(PS)**	**Director/(Tele)**	**Director/WCS**
Railway Board	**Railway Board**	**Railway Board**	**Railway Board**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबी/एल एंड ए/008/2014

सं.2012/एलएम(पीए)/03/08/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 26.09.2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

विषय : रेलवे स्टेशनों पर अलग-अलग व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, चैरिटेबल संस्थानों, कारपोरेटों आदि के माध्यम से यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में मार्गनिर्देश.

यात्रियों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों, ट्रस्टों, चैरिटेबल संस्थानों, कारपोरेटरों ने रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को मुहैया कराने/उनमें वृद्धि करने के लिए स्वत: अपनी रुचि दिखाई है.

इस मामले पर बोर्ड में विचार किया गया है और इस संबंध में नीतिगत मार्ग-निर्देश जारी करने का निर्णय किया गया है. अलग-अलग व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, चैरिटेबल संस्थानों, कारपोरेटरों आदि से प्राप्त प्रस्तावों की व्यावहारिकता की जांच करने के बाद रेलवे, ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों का पालन करेंगी:

1. उद्देश्य :

रेलवे स्टेशनों पर अपनी लागत पर सुख-सुविधाओं और सेवाओं के पुनर्स्थापन/उनकी व्यवस्था करने/उनमें सुधार लाने/उन्हें अपग्रेड करने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, चैरिटेबल संस्थानों, कारपोरेटरों आदि (यहां इसके बाद जिन्हें "प्रायोजक पार्टी" कहा जाएगा) की भागीदारी को बढ़ावा देना.

2. कार्यकलापों/कार्यों के संभावित क्षेत्र :

प्रायोजक पार्टी को निम्नानुसार रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने की अनुमति होगी. इस कार्य को स्टेशन की श्रेणी से सम्बद्ध नहीं किया जाएगा:

(i) रेलवे स्टेशनों पर सुख-सुविधाओं का पुनर्स्थापन/बदलाव/प्रावधान/सुधार/अपग्रेडेशन करना.
(ii) विद्यमान और नई मुहैया कराई गई सुख-सुविधाओं के अनुरक्षण तथा परिचालन (जहां कहीं अनुमेय हो) सहित सेवाओं का प्रावधान करना/अपग्रेड करना.
(iii) स्टेशन और सर्कुलेटिंग क्षेत्र का सौन्दर्यवर्धन/लैंडस्केपिंग करना.
(iv) स्टेशन परिसर, जिसमें स्टेशन की इमारत, प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग क्षेत्र, ट्रैक आदि शामिल है, की साफ-सफाई करना.

सुख-सुविधाओं की एक संसूचक सूची नीचे दी गई है:

(i) यात्री सुख-सुविधाओं से संबंधित विद्यमान नीतिगत अनुदेशों में उल्लिखित सुख-सुविधाओं में सूचीबद्ध कोई सुविधा.
(ii) व्हील चेयर
(iii) डस्टबिन,
(iv) लगेज ट्रॉलियां
(v) वाटर फाउंटेन
(vi) एयर/मिस्ट कूलिंग सिस्टम
(vii) वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसमें आर ओ प्लांट शामिल है (वाटर कूलर सहित अथवा उसके बिना)
(viii) एलईटी आधारित स्टेशन-नाम बोर्ड
(ix) इलैक्ट्रॉनिक चार्ट/ट्रेन डिस्पले/कोच इंडिकेशन बोर्ड/पब्लिक एड्रेस सिस्टम/क्लॉक
(x) सोलर, विंड आदि सहित नवीकृत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था करना
(xi) ड्राइवर सहित बैटरी से चलने वाली कार
(xii) स्टेशनों पर वाटर हारवेस्टिंग
(xiii) एस्केलेटर/एलिवेटर/ट्रेवेलेटर
(xiv) सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम आदि
(xv) टाइमर/डे.लाइट स्विच के साथ हाई मास्ट लाइटिंग एवं ऊर्जा कुशल फिटिंग
(xvi) एयर कर्टेन्स
(xvii) डीजी सेट/इनवर्टर/यूपीएस आदि

3. मार्ग-निर्देश :

(i) रेलवे स्टेशन का मास्टर-प्लान बनाएगी, जिसमें विद्यमान सुख-सुविधाओं, प्रायोजक पार्टी द्वारा प्रस्तावित सुख-सुविधाएं, अन्य स्वीकृत यात्री सुविधा कार्य, जिसमें भविष्य में किए जाने वाले कार्य भी शामिल हैं, दर्शाए जाने चाहिए और इन्हें मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए.

(ii) रेलवे द्वारा निक्षेप शर्तों पर सुख-सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए. इसमें कोई डी एंड जी और पर्यवेक्षण प्रभार नहीं होगा क्योंकि मकसद स्टेशन के विकास के लिए समूची राशि का उपयोग प्रायोजक पार्टी द्वारा किए गए अंशदान से करने का है. इन कार्यों के लिए सामान्य प्रभारों को विद्यमान संगठन के अंतर्गत ही समाहित किया जाना चाहिए और इन कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जाना चाहिए. बहरहाल, प्रायोजक द्वारा कुछ मदें जैसेकि बैंच, व्हील चेयर, बैटरी से चलने वाली कार, लगेज ट्राली, स्टैण्ड एलोन सोलर लाइटिंग सिस्टम, डीजी सेट/इनवर्टर/यूपीएस, ऊर्जा कुशल इलैक्ट्रिक फिटिंग एवं पंखे आदि अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार नि:शुल्क मुहैया कराए जाएं. ऐसी सुविधाओं का उपयोग/परिचालन रेलवे द्वारा किया जाना चाहिए अथवा प्रायोजक पार्टी द्वारा परिचालित किया जाना चाहिए (यदि अनुमति प्रदान की जाती है).

(iii) प्रायोजक पार्टी द्वारा निधि जमा कराने के एक वर्ष के भीतर रेलवे सुख-सुविधाएं मुहैया कराएगी.

(iv) रेलवे का वाणिज्यिक विभाग मौजूदा पद्धति के अनुसार स्टेशन पर यात्री सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान करने के लिए समन्वय करेगा जबकि संबंधित कार्यकारी

विभाग अर्थात् इंजीनियरी, बिजली, सिगनल एवं दूरसंचार आदि विभाग योजना, अनुमान आदि तैयार करने तथा उसे निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होगा. अनुमान तैयार कर लेने के बाद निक्षेप राशि प्राप्त करने के लिए वह विभाग, जिसका समग्र कार्य में बड़ा योगदान होगा, प्रायोजक पार्टी के साथ समन्वय करेगा.

(v) यदि स्टेशन परिसर में सफाई का कार्य प्रायोजित हो तो स्टेशन की सफाई का प्रभारी विभाग इसमें समन्वय करेगा और वह इसके लिए जिम्मेदार होगा.

(vi) प्रायोजक पार्टी के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित किए गए/प्रावधान की गई सुविधाओं की संख्या जो भी हो, इससे स्टेशन की कोटि नहीं बदलेगी और यह बोर्ड के दिनांक 11.09.2012 के पत्र सं.2012/एलएम (पीए)/03/05 के अनुसार स्टेशन पर यात्री यातायात से प्राप्त होने वाली आमदनी पर ही आधारित रहेगी.

(vii) रेलवे प्रशासन (मंडल रेल प्रबंधक अथवा वाणिज्य विभाग का कोई जेएजी/एसजी अधिकारी, जिसे ये शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों) और प्रायोजक पार्टी के बीच एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

(viii) व्यय में दोहरापन नहीं होना चाहिए. रेलवे, प्रायोजित कार्यों पर किए जाने वाले व्यय का समुचित लेखा-जोखा रखेगी

(ix) प्रयोजक पार्टी द्वारा रेलवे को कतिपय सुख-सुविधाओं जैसेकि आरओ संयंत्र, वाटर कूलर आदि, जिन्हें सुख-सुविधाओं के भाग के रूप में सप्लाई/संस्थापित किया जाता है, से संबंधित तकनीकी प्रलेख दिए जाने चाहिए. (जहां कहीं प्रायोजक द्वारा ऐसी मदें मानक विशिष्टि के अनुरूप सप्लाई किए जाते हैं)

(x) जहां कहीं डिस्पले बोर्ड/कोच गाइडंस सिस्टम जैसी 'लाइव' यात्री सुख-सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं, उन्हें एनटीईएस से कनेक्ट किया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को अद्यतन सूचना उपलब्ध हो. डिजिटल क्लॉक, कोच गाइडेंस बोर्ड, पी ए सिस्टम और इलैक्ट्रॉनिक चार्ट/ट्रेन डिस्पले बोर्ड, यदि उपलब्ध हों तो ये अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन की विशिष्टियों के अनुरूप होने चाहिए.

(xi) इस प्रकार सृजित परिसम्पत्तियों पर प्रायोजक पार्टी का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसी परिसम्पत्तियां रेलवे की सम्पत्ति होंगी और उन्हें संबंधित विभागों द्वारा रखे गए संगत बहियों/रिकार्डों में लिया जाना चाहिए.

(xii) जहां प्रायोजक पार्टी उनके द्वारा मुहैया कराई गई सुख-सुविधाओं/परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण कराने के लिए आगे आती हैं तो इसकी अनुमति दी जा सकती है. बहरहाल, यदि प्रायोजक पार्टी उनका अनुरक्षण करने के लिए इच्छुक न हो तो सुख-सुविधाओं/परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण रेलवे द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा.

(xiii) स्टेशनों पर अच्छे शौचालय (महिलाओं/पुरूषों/अशक्त व्यक्तियों के लिए) का निर्माण करने और नियमित रूप से सफाई करने के लिए सफाई मित्र की व्यवस्था करने के लिए भी प्रयोजक पार्टी द्वारा वित्त पोषण किया जा सकता है/मुहैया कराई जा सकती है. शौच करने और नहाने के प्रभार रेलवे द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे. मूत्र करने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.

xiv. सुविधाओं का प्रावधान/उन्हें इन्स्टॉल करने और ओ एंड एम के लिए मानदंडों के अनुसार अपेक्षित पानी और बिजली की आपूर्ति रेलों द्वारा नि:शुल्क की जाएगी.

xv. जहां-कहीं प्रायोजक पार्टी को अनुरक्षण, ओएंडएम, सफाई आदि कार्य के भाग के रूप में अपने आदमी/कर्मचारी नियुक्त करने अपेक्षित हों तो स्टेशन प्रबंधक/ स्टेशन अधीक्षक द्वारा उन्हें फोटोग्राफ वाला एक उपयुक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा. ऐसे आदमी/कर्मचारी निर्धारित रंग और किस्म की साफ-सुथरी वर्दी में होने चाहिए, जिसमें उनके नाम का बैज लगा होना चाहिए और उनके पास अनिवार्यत: स्टेशन प्रबंधक/ स्टेशन अधीक्षक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र होना चाहिए.

xvi. प्रायोजक पार्टी के माध्यम से मुहैया कराई गई सुख-सुविधा/परिसंपत्ति को बदलने का कार्य प्रचलित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा.

xvii. प्रायोजक पार्टी द्वारा एयर कंडीशनरों की व्यवस्था करने के कार्य को प्रचलित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा.

xviii. प्रायोजक को रेलवे परिसर में उपलब्ध कराई गई परिसंपत्ति का वाणिज्यिक उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा.

xix. उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बदले में प्रायोजक को विज्ञापन/प्रचार के लिए कोई स्थान/सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.

xx. रेलवे, प्रायोजक के योगदान को दर्शाने के लिए उसे एक पट्टिका लगाने की अनुमति दे सकता है, जिसमें कम्पनी का लोगो, नाम आदि दिया जा सकता है. यह पट्टिका/बोर्ड समुचित आकार का होगा जिसे मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जिससे स्टेशन के सौन्दर्य को कोई क्षति न पहुँचे और परिचालनिक गतिविधियों में भी कोई बाधा न आए. इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक का निर्णय अंतिम होगा.

xxi. रेलवे द्वारा उपर्युक्त पहल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का उपयुक्त डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें प्रायोजक पार्टी का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए.

4. रेलवे प्रशासन जिस प्रकार भी उपयुक्त समझे रेलवे स्टेशन परिसरों में यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रायोजक पार्टी की रूचि की वास्तविकता से स्वयं संतुष्ट होगा ताकि जनता से शिकायतें प्राप्त न हों.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

(एस.के. अहिरवार)	**(सुशील कुमार)**	**(हरीश पवारिया)**	**(नवीन अग्रवाल)**
निदेशक/टीसी(जी)	**निदेशक/ईई(पीएस)**	**निदेशक/(टेली)**	**निदेशक/डब्ल्यूसीएस**
रेलवे बोर्ड	**रेलवे बोर्ड**	**रेलवे बोर्ड**	**रेलवे बोर्ड**

सं. 2012/एलएम(पीए)/03/08/पॉलिसी नई दिल्ली, दिनांक 26.09.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

(वी.राम मनोहर राव)
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2012/एलएम(पीए)/03/08/पॉलिसी नई दिल्ली, दिनांक 26.09.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
2. मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी भारतीय रेलें।
3. मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
4. मुख्य बिजली इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण, सभी भारतीय रेलें।
6. का.नि.या.वि., का.नि.सी.ई.(बी एंड एस)-II, का.नि.डब्ल्यू (पी), का.नि.सी.ई. (जी), का.नि./टीडी एवं का.नि. ईई (एम), का.नि. (डब्ल्यू), का.नि./डब्ल्यू पी, का.नि.सी.ई.(पी), का.नि.एफ (एक्स)-II, रेलवे बोर्ड।
7. एफ(एक्स)-II, टीजी-IV, बिजली (जी), दूरसंचार एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड

(एस.के. अहिरवार)	(सुशील कुमार)	(हरीश पवारिया)	(नवीन अग्रवाल)
निदेशक/टीसी(जी)	निदेशक/ईई(पीएस)	निदेशक/(टेली)	निदेशक/डब्ल्यूसीएस
रेलवे बोर्ड	रेलवे बोर्ड	रेलवे बोर्ड	रेलवे बोर्ड